रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2011/श्रावण 11, 1933
No. 158] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2011/SRAVANA 11, 1933

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2011

फा. सं. 61-1/2011/राअशिप(मा.तथा मा.).—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के खण्ड 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 750(अ) के अनुसरण में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) एतद्द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के वास्ते न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करने वाली दिनांक 23 अगस्त, 2010 की फा. संख्या 61-1/2010-राअशिप (मा. तथा मा.) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित संख्या 215 दिनांक 25 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्न संशोधन करती है (जिसका उल्लेख मूल अधिसूचना के रूप में किया जाएगा)—

(I) मूल अधिसूचना के पैरा 1 के उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :–

1. न्यूनतम अर्हताएं :

(i) कक्षा I से V

(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में पास होना।

(II) मूल अधिसूचना के पैरा 1 के उप-पैरा (ii) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

1. (ii) कक्षा VI—VIII

(क) स्नातक और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

(III) मूल अधिसूचना के पैरा 3 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

(1) प्राप्त किया जाने वाला प्रशिक्षण—ऐसा व्यक्ति भी—

(क) जिसने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बी.एड. अर्हता अथवा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) उत्तीर्ण किया हो, जनवरी, 2012 तक कक्षा I से V तक के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र होगा बशर्ते कि नियुक्ति के बाद वह प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा कर ले।

(ख) वह व्यक्ति, जिसने डी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा करेगा।

(ग) **आरक्षण नीति :** आरक्षित श्रेणियों जैसे कि एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./पी.एच. आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

(IV) मूल अधिसूचना के पैरा 5 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

5. (क) **कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तिथि के बाद नियुक्त अध्यापक :** इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियां, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार की जा सकती हैं ।

(ख) इस अधिसूचना में उल्लिखित न्यूनतम योग्यता मानदण्ड भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान आदि के अध्यापकों के मामले में लागू होते हैं । शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के मामले में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम योग्यता मानदण्ड लागू होंगे । कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा आदि के अध्यापकों के मामले में राज्य सरकारों तथा अन्य स्कूल प्रबन्धक वर्गों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि ऐसे अध्यापकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देती।

विक्रम सहाय, संयोजक

[विज्ञापन III/4/131/2011/असा.]

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 की फा. स. 61-1/2011/राअशिप (मा. तथा मा.) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III के खण्ड 4 में प्रकाशित हुई थी।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2011

F. No. 61-1/2011/NCTE(N&S).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 23 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) and in pursuance of the Notification No. S.O. 750(E), dated 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following amendments to the Notification No. 215 dated 25th August, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part - III, Section - 4, vide F.No. 61-1/2011-NCTE(N&S), dated the 23rd August, 2010, laying down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher (hereby referred to as the Principal Notification), namely :—

(I) For sub-para (i) of para 1 of the Principal Notification, the following shall be substituted, namely :—

1. Minimum Qualifications :—

(i) Classes I—V

(a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations, 2002.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education)

OR

Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

AND

(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with he Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

II) For sub-para (ii) of para 1 of the Principal Notification, the following shall be substituted, namely :—

(ii) Classes VI—VIII

(a) Graduation and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Graduation with at least 50% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.)

OR

Graduation with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year B.A. / B.Sc.Ed. or B.A. Ed./B.Sc.Ed.

OR

Graduation with at least 50% marks and 1-year B.Ed. (Special Education)

AND

(b) Pass in Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the uidelines framed by the NCTE for the purpose.

(III) For para 3 of the Principal Notification the following shall be substituted, namely :—

(i) Training to be undergone.—A person—

(a) with Graduation with at least 50% marks and B.Ed. qualification or with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard, shall also be eligible for appointment to Class I to V up to 1st January, 2012, provided he/she undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6-month Special Programme in Elementary Education;

(b) with D.Ed. (Special Education) or B.Ed. (Special Education) qualification shall undergo, after appointment an NCTE recognized 6-month Special Programme in Elementary Education.

(ii) Reservation Policy :

Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as SC/ST/OBC/PH.

(IV) For para 5 of the Principal Notification, the following shall be substituted, namely:—

5. (a) Teacher appointed after the date of this notification in certain cases :—Where an appropriate Government or local authority or a school has issued an advertisement to initiate the process of appointment of teachers prior to the date of this Notification, such appointments may be made in accordance with the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).

(b) The minimum qualification norms referred to in this Notification apply to teachers of Languages, Social Studies, Mathematics, Science, etc. In respect of teachers for Physical Education, the minimum qualification norms for Physical Education teachers referred to in NCTE Regulation dated 3rd November, 2001 (as amended from time to time) shall be applicable. For teachers of Art Education, Craft Education, Home Science, Work Education, etc. the existing eligibility norms prescribed by the State Governments and other school managements shall be applicable till such time the NCTE lays down the minimum qualifications in respect of such teachers.

VIKRAM SAHAY, Convener

[ADVT-III/4/131/2011/Exty.]

Note :—The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* Number F. 61-3/2011-NCTE (N&S), dated the 23rd August, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.